

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

: कार्यालय त्राप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीथिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4152-LAXMAN MEMORIAL COLLEGE OF PHARMACYVILLAGE-SUHWA, POST- RATSAR, THESILE- BALLIA, DISTRICT- BALLIA, UP, 277123

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992: सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी नवीनतम दर लागू होगी।

संस्था को (30प्र0) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत भवितव्य आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सन्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

पधानाचार्य/निदेशक, LAXMAN MEMORIAL COLLEGE OF PHARMACY VILLAGE- SUHWA, POST-
RATSAR, THESILE- BALLIA, DISTRICT- BALLIA, UP, 277123



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/5170

संखनक: दिनांक: 14-8-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिक सत्र 2020-21 हेतु विपरीत स्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पुर्ण से संस्थानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मांगों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-8 में विपरीत इन फार्मसी पाठ्यक्रम संस्थानित करने वाली नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सहज विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

“सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।”

अतः निम्नानुसार संस्थानित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	लखनऊ मेडिकल कॉलेज और तकनीकी विभाग-मुबारक पुरा-लखनऊ एवं प्रसंग-बलिया	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेनेटव्हाट विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विद्योपेय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त को अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क को सम्बन्ध में सम्म-सम्मा पर शासन द्वारा निर्भर किये जाने वाले आरक्षणों के अन्तर्गत आने वाली शर्तों और उपरोक्त कार्यालयी

किया जाना आवश्यक होगा। नीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीस की नवीनता देने हेतु होगी।

- ✓ संस्था को (उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उच्च समितियाँ संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाय) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित चर्चों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार करने की शिथिली में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश शासन/प्रदेश के अनुचित निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एअरअंडरवीरटीआई/पीसीआई से जागगी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शास्त्रादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंधित होगी।
- ✓ कियोगे इन कार्यवाही पर्याप्त नहीं संसार यदि ओ.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरप्रदेशीय संस्था का होगा और शिथिली रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को छोड़ें हुए कार्य किया जाता है तथा कार्य-कार्य की संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ कियोगे इन कार्यवाही पर्याप्त संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु अनधिकारित प्रारंभ होने से पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/असंतोष को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अधिकारिता के बावजूद से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, उपकरण, प्रवेश किया जाने प्राप्त शुल्क, सत्रावधि शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ-साथ उद्योगों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था ने प्रस्तावित/संभावित पर्याप्तता को बतानी जाने हेतु निर्धारण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिनियम, अधिनियम, कमीशन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्याप्तता के बहाल में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है, तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शिथिली में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

/

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/5171-6578

तारीख दिनांक 14-9-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, लक्ष्मण संतोषिया/कीलेज ऑफ फार्मेसी, विनोद-सुहवा, पी-राजपुर, तारा एन जयपुर-बिहार।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव